पूर्व मध्य रेल
संरक्षा बुलेटिन नं0 03/24

कार्यालय
महाप्रबंधक/संरक्षा
हाजीपुर
दिनांक 19.06.2024

पत्र सं0 ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/03/24

विषयः ब्लॉक खंड या स्टेशन यार्ड में कोई भी इंजीनियरिंग कार्य यथा प्लेटफार्म उंचा करने, सीढ़ी निर्माण (फुट ओवर ब्रिज), भवन – मरम्मती इत्यादि करते समय बरती जाने वाली सावधानियां ।

1. संक्षिप्त परिचयः–

दिनांक 05.06.2024 को सोनपुर मंडल में लखमिनयां स्टेशन पर प्लेटफार्म सं0 3 को उंचा करने का कार्य हो रहा था । लगभग 15.48 बजे गाड़ी सं0 12568 डाउन दनौली – फुलवरिया स्टेशन पास की। लखमिनयां स्टेशन से इस गाड़ी के लिए लाईन सं0 3 (प्लेटफार्म सं. 2) से थ्रू सिगनल दिया हुआ था। कांटा वाला गाड़ी के साथ ऑल राईट सिगनल आदान–प्रदान करने हेतु जब प्लेटफार्म सं. 2 पर पहुंचा तभी अचानक उसने देखा कि एक ट्रैक्टर जिसके ट्राली में मिट्टी भरा हुआ था प्लेटफार्म सं. 2 पर किमी. 146/6 के पास पश्चिमी छोर से अनियंत्रित होकर प्लेटफार्म सं. तीन (03) से प्लेटफार्म सं. 2 की ओर बढ़ा एवं इस ट्रैक्टर का अगला बायां चक्का प्लेटफार्म से नीचे आ गया । कांटा वाला के द्वारा मोबाईल फोन से कार्यरत स्टेशन मास्टर को तत्काल सूचना दी गई एवं स्टेशन मास्टर ने तत्परता से इसकी सूचना खंड नियंत्रक को दिया तथा होम सिगनल को वापस ऑन की स्थिति में लाने का प्रयास किया। परंतु तब तक गाड़ी सं0 12568 डाउन होम सिगनल पार कर चुकी थी । कार्यरत स्टेशन मास्टर ने वीएचएफ सेट से लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर को वस्तुस्थिति की जानकारी दी एवं जिधर से गाड़ी 12568 आ रही थी, कार्यरत कांटावाला लाल झंडी दिखाते हुए उस ओर गाड़ी रोकने के उद्देश्य से भागा। वस्तुस्थिति की जानकारी मिलते ही लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट के द्वारा आपातकालीन ब्रेक का इस्तेमाल किया गया, परंतु गाड़ी की गति अधिक होने के कारण ट्रैक्टर के पहिये से रगड़ते हुए घटनास्थल से लगभग 70 मीटर आगे जाकर 15.51 बजे रूकी। इसके कारण ट्रैक्टर गाड़ी के कोच सं. 194317/सी/ईसीआर से सटा हुआ था/फंसा हुआ था । गाड़ी रूकने के उपरांत ट्रैक्टर को जेसीबी मशीन से हटाया गया।

2. प्रकियागत विफलताः–

इस प्रकार की असामान्य घटना इसलिए घटित हुई, क्योंकि रेलपथ या रेलपथ के निकट किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों एवं संवेदक द्वारा अनुपालन नहीं किया गया । रेलपथ या निर्माण कार्य इत्यादि करने के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भारतीय रेल पथ नियमावली के अध्याय 8 के पारा 819 के निम्नलिखित सब – पारा में विस्तृत वर्णन है जिनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

819 (1) ठेकेदार/कंट्रेक्टर कोई कार्य तब तक शुरू नहीं करेगा, जब तक कार्य स्थल पर रेलवे का पर्यवेक्षक एवं संवेदक द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित न हो।

819 (2) रेलवे लाईन के नजदीक किसी कार्य को करने हेतु कोई रोड वाहन/मशीनरी का उपयोग इस तरह किया जाएगा कि रेलवे लाईन पर गाड़ी संचालन के लिए निर्धारित शिड्यूल ऑफ डायमेन्शन (SOD) बाधित नहीं हो । इसके लिए कार्य स्थल पर जरूरत के अनुसार परिसीमन एवं घेराबंदी (बैरिकेडिंग) सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

819 (3) जहां आवश्यकता हो वहां संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य के दौरान गुजरने वाली सभी गाड़ियों को सर्तकता आदेश जारी किया जाना चाहिए तथा झंडी तथा पटाखा के साथ गाड़ी के संरक्षा हेतु रेलकर्मी तैनात किया जाना चाहिए।

819 (6) साइट इंजीनियर द्वारा साइट विशेष के लिए संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष संरक्षा निर्देश जारी किया जाना चाहिए।

19.06.24

819 (7) इंजीनियर इंचार्ज गाड़ी, यात्रियों एवं कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली कार्य पद्वति जारी करेगा तथा अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्रत्येक कार्य स्थल पर एक आश्वासन पंजिका होनी चाहिए जिसमें रेलवे पर्यवेक्षक और संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा संरक्षा सुनिश्चित किए जाने के आश्वासन स्वरूप हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

3. **नियमों का अनुपालन एवं बरती जाने वाली सावधानियां–**

1. भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भारतीय रेल पथ नियमावली के पारा 819 के उपरोक्त सब –पारा एवं पूर्व मध्य रेल के सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के अध्याय 15 के नियम 15.08 के पारा 1, 2 एवं 3 में वर्णित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

2. इसके अतिरिक्त संरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए प्रमुख मुख्य इंजीनियर /पूर्व मध्य रेल /हाजीपुर के द्वारा कार्य स्थल पर संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी परिपत्र सं० ECR-HQ0ENGG(TK)/16/2022,O/o Dy.CE/TO/HJP dtd 14.09.2022. में वर्णित दिशा – निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाना चाहिए।

उपरोक्त का सर्वसंबंधित विशेषकर इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मंडलों के संबंधित अधिकारीगण तथा पर्यवेक्षक नियमित तथा औचक निरीक्षण के समय इसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

(सुनील कुमार) 19.06.24
उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/यातायात

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबंधक के सचिव– महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबंधक, प्र० मु० परि० प्र०, प्र० मु० इंजी०, प्र० मु० वि० इंजी०, प्र० मु० सि० एवं दू० इंजी०, प्र० मु० यां० इंजी० – को सादर सूचनार्थ।
3. मु० यां० यो० प्र०, मु० या० या० प्र०, मुख्य ट्रैक इंजी०, मु० सि० इंजी० , मु०वि०वि०इंजी०, मु० वि० लो० इंजी०
4. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. वमसंअ० वमपरिप्र० वमंविई० (टीआरडी), वमंविई० (परि०), वमंसिदूई० , वमअभि० (सम०/)धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
6. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी।